

17 12
24

प्राप्त पेश / वकील वारी / वारी को
आज्ञा लगाई गयी। बार-बार आवाज
लगाने के बावजूद भी वकील वारी / वारी
न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर
वारी का वाद अदम हाजरी अनुमति परी
में स्वारिज किया जाता है। प्राप्त
फैसल शुभान होकर नम्बर से कम
होकर दारिदर दफतर हो। *Danner*